आ.क्र. 100
06-01-22

न्यायालय : धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 06 / 2022 बुरहानपुर, दिनांक :06.01.2022

:: आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष 2022 ::

मैं **धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक जिला बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाऐं निश्चित् करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

1	2	3	4
.	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर	1. आरक्षी केन्द्र 1. कोतवाली 2. जी.आर.पी. 3. यातायात	01. कॉलम क्रमांक–3 में अंकित क्रमांक–1 में उल्लेखित थाना कोतवाली, जी.आर.पी. एवं यातायात क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)।
		2. संपूर्ण बुरहानपुर जिला	2. **संपूर्ण बुरहानपुर** जिले के पुलिस थानो में पंजीबध्द अपराधों के **खारजी प्रतिवेदन (Expunge Report) का निराकरण।** 3. परिवहन विभाग बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। 4. **धारा 306 द.प्र.सं.**के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 5. **नगर पलिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।** 6. **श्रम विभाग एवं कारखाना अधिनियम** द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। 7. **नाप–तोल विभाग** द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। 8. **मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915** की धारा 34(2) के वे समस्त जिले में पंजीबद्ध प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या अधिक हो तथा धारा 49(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण तथा उक्त अधिनियम की धारा 34(1–क), 36 बाबत् समस्त समरी, जो कॉलम नंबर 03, क्रमांक 01 में उल्लेखित थाने से उद्भूत हुये हैं, वें प्रकरण। 9. सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। 10. केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। 11. माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। 12. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 13. दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के

1	2	3	4
			तहत् प्रस्तुत प्रकरण। **14.** औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। (कंडिका क.10 से 15 में जो अधिनियम उल्लेखित किये गये हैं, उनसे संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य हो, सुने जायेंगे) **15.** ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है।
2.	श्री रामसिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र 1.लालबाग	**1.** कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **लालबाग** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य हो, को छोडकर)। **02.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि **जनवरी एवं फरवरी 2022** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।
		2. वन विभाग जिला बुरहानपुर	**3.** जिला बुरहानपुर में स्थित वन अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण (आगामी नोटिफिकेशन आदेश होने तक त्वरित प्रकृति के कार्य)। **4.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण ।
3.	सुश्री शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1.गणपतिनाका	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **गणपतिनाका** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। **2.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **मार्च एवं अप्रैल 2022** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। **3.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
		2. जिला बुरहानपुर में स्थित थाना क्षेत्र से (थाना	**4.** कॉलम कमांक 3 में उल्लेखित जिला बुरहानपुर स्थित समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं विविध आपराधिक

1	2	3	4
		क्षेत्र नेपानगर तथा थाना क्षेत्र निम्बोला के नेपानगर तहसील को छोड़कर) महिलाओं से संबंधित अपराध (मात्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हो)	न्यायिक प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हो, (ग्राम न्यायालय एवं परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के धारा 125 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)
4.	डॉ. गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1. नेपानगर 2. निम्बोला	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **नेपानगर, निम्बोला** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (**नोट** : थाना निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील नेपानगर क्षेत्र में समाहित है, से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण) (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण व अन्य कार्यवाहियां, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। 2. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्भुत धारा 138 पराकम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
5.	सुश्री रंजना डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1. शाहपुर	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **शाहपुर** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। 2. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह मई एवं जून 2022 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।

1	2	3	4
6.	श्री आयुष कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1. खकनार	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **खकनार** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। 2. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **जुलाई एवं अगस्त 2022** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
7.	सुश्री पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1. निम्बोला 2. आबकारी विभाग	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **निम्बोला** क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील **बुरहानपुर** क्षेत्र में समाहित है तथा **आबकारी विभाग** से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। 2. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **सितम्बर एवं अक्टूबर 2022** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।
8.	श्री अमित कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1. शिकारपुरा	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित थाना **शिकारपुरा** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। 2. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **नवम्बर एवं दिसम्बर 2022** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।

1	2	3	4
).	सुश्री परिधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	1.महिला थाना	1. कॉलम कमांक–3 में उल्लेखित **महिला थाना** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, निजी परिवाद व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, अन्य कार्यवाहियां एवं विविध आपराधिक न्यायिक प्रकरण, **जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है,** को छोड़कर)। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।

सामान्य आदेश :–

1. इस कार्य विभाजन पत्रक का किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस आदेश के निर्वचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जाये।
4. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों में समान रुप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी के साथ सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र का निराकरण भी करेंगे।

नोट :– किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका क. 5, 6, 7 में उल्लेखित कार्य माने जायेंगे।

5. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा एवं धारा 164 द.प्र.सं. के आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों का सशक्त होने पर समरी प्रकिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता हैं।
6. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमार अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थि हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उन्हें पुनः आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।
7. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रकिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हों, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।
8. **महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय नहीं है, संबंधित थाना क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान/अन्य कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी।**

9. **संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में प्रत्येक 02 माह में कम से कम एक बार चलित न्यायालय लगायेंगे।**

10. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

11. वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। धारा 138 एन0आई0एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

12. **अजाक थाने से संबंधित प्रकरणों में रिमांड कार्य, जिले में विशेष न्यायालय का गठन होने से मात्र सार्वजनिक अवकाश के दौरान संपादित किये जायेंगे।**

13. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी भेजी जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304–बी. भा.दं.वि. के प्रकरणो में एफ.एस.एल. रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे **तथा सभी अजमानतीय अपराध में यदि कोई जमानत आवेदन निरस्त होता है तो, उस दशा में आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न की जाये।**

14. जिला मुख्यालय/तहसील स्तर पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

15. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावे।

16. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

17. **संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।**

18. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को प्राप्त हैं।

19. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

20. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची कमांक 'ब' अनुसार किया जावेगा।

21. धारा 340 द.प्र.सं. के न्यायिक जिला बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

22. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची कमांक 'अ' के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

23. इस न्यायिक जिला स्थापना पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रिक्त होकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होने पर उक्त न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट से उद्भूत प्रकरण एवं उनमें पारित निर्णय, की गई अपील के उपरांत प्रत्यावर्तन उपरांत सुनवाई हेतु एवं अन्य आवश्यक कार्य, विधिक कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की तिथि बढ़ाने और अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रभार इस कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

उक्त आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर के अनुमोदन के पश्चात् तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

अनुमोदित

(अतुल्य सराफ)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
3 JAN 2022

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

न्यायिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2022

अनुसूची–''अ''

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अवकाश पर रहेंगे	जिनके पास प्रभार रहेगा / प्रथम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट,	कॉलम नं. 1 व 2 मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर द्वितीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट	कॉलम नं. 1,2 व 3 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर तृतीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट	कॉलम नं. 1,2,3 व 4 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर चतुर्थ प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट	कॉलम नं. 1,2,3,4 व 5 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर पंचम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट	कॉलम नं. 1,2,3,4,5 व 6 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर षष्ठम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट	कॉलम नं. 1,2,3,4,5,6 व 7 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर सप्तम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
2	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम,एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
3	सुश्री शीतल बघेल जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
4	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ. सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर
5	सुश्री रंजना डोडवे जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर

6	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
7	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
8	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
9	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एस. सी., बुरहानपुर	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ. सी.बुरहानपुर	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	डॉ. गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी., तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर

अनुमोदित

(अतुल सराफ)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
3 JAN 2022

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2022 की अनुसूची–"ब"
धारा 164 द0प्र0सं0 के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

अनुक्रमांक	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	आरक्षी केन्द्र :– 1. कोतवाली, 2. आबकारी विभाग 3. यातायात	श्री रामसिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
2.	आरक्षी केन्द्र :– 1. लालबाग, 2. अजाक नोट : महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर। 2. वन विभाग जिला बुरहानपुर 3. जिला बुरहानपुर में समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण।	सुश्री शीतल बघेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
3.	आरक्षी केन्द्र :– 1. शिकारपुरा, 2. जी.आर.पी., (महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में)	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
4.	आरक्षी केन्द्र :– 1. निम्बोला, 2. गणपतिनाका (महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में)	श्री आयुष कनेल, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
5.	आरक्षी केन्द्र :– 1. शाहपुर, (महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में)	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
6.	आरक्षी केन्द्र :– 1. नेपानगर (महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में)	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर
7.	आरक्षी केन्द्र :– 1. खकनार 2. नवीन प्रारंभ महिला थाना (महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में)	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर

नोटः 1– उपरोक्त कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में इस अनुसूची में वर्णित कार्य, अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

2– महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में महिला फरियादी अर्थात पीड़िता की साक्ष्य यथासंभव महिला साक्ष्य लेखक/टंकणकर्ता द्वारा टंकित किया जायेगा।

3– इस अनुसूची 'ब' में वर्णित धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेने के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि अवकाश पर हो अथवा अन्यथा अनुपस्थित हो, तो उस दशा में अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा 164 द.प्र.सं. के कथन संबंधी कार्यवाही की जाएगी किंतु यदि वह प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसा हो कि जिसके न्यायालय में ही उस प्रकरण से संबंधित धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक में है, तो उस दशा में अनुसूची "अ" के कालम में वर्णित अग्रिम (Next) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 द.प्र. सं. की कार्यवाही इस प्रकार के मामले में संपन्न की जावेगी।

अनुमोदित

(अतुल्य सराफ)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

3 JAN 2022

न्यायालय : धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

कमांक– 07 ( )/आप./2022 बुरहानपुर,दिनांक : 06.01.2022

//आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2022//

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बुरहानपुर।
3. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।
4. कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि, कृपया समस्त थाना प्रभारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. श्री रामसिंह बघेल/सुश्री शीतल बघेल/सुश्री रंजना डोडवे/श्री आयुष कनेल/सुश्री पलक श्रीवास्तव /श्री अमित कुमार शर्मा/ सुश्री परिधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. डॉ. गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. जिला वन मंडलाधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

09. थाना प्रभारी, जी.आर.पी.खण्डवा की ओर सूचनार्थ।

10. कारखाना निरीक्षक, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
11. उप संचालक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग।
12. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म0प्र0 शासन बुरहानपुर।
13. जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
14. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
15. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
16. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
17. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. पंजीयन लिपिक, फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
3 JAN 2022